कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)

क्रमांक : एफ–13( ) अति. आयुक्त / जननिग्रे / 2024 / 345 दिनांकः– 30/7/24

भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति (बी.पी.सी.)
बैठक दिनांक 30.07.2024 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 30.07.2024 को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर मुख्यालय की आयोजना शाखा में संचालित विभिन्न उपविभाजन, पुनर्गठन एवं भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक श्री जितेन्द्र श्रीमाली की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया गया। कार्यालय में प्रक्रियाधीन एवं भविष्य में लगाए जाने वाले भवन निर्माण स्वीकृति, उपविभाजन एवं पुनर्गठन से संबंधित आवेदनों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–

1. सर्वप्रथम पूर्व बी.पी.सी. बैठक दिनांक 12.07.2024 में किए गए प्रकरणों के संबंध में लिए गए निर्णयों के आधार पर निस्तारण के संबंध में समीक्षा की गई।
2. बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्यों के संज्ञान में पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण लाए गए जिसके संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों की समय–समय पर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए।
3. बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वास्तुविद् द्वारा जारी किए जाने वाले भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में कार्यालय से Acknowledgement जारी किया जाना आवश्यक है। अतः जोन स्तर से यह जानकारी ली जावें कि जोन स्तर पर आज दिनांक तक कितनी deemed permission की पत्रावलीयां प्राप्त है एवं कितनी पत्रावलीयों में Acknowledgement जारी किया गया है।
4. बी.पी.सी. की बैठक में प्रस्तावित प्रकरणों के अलावा अन्य 2 पत्रावलीयां चर्चा हेतु प्रस्तुत की गई थी। अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त पत्रावलीयों का नियमों के संदर्भ में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार के आदेशों / परिपत्रों के अनुसार तकनीकी परिक्षण कर त्वरित निस्तारण किए जाने का निर्णय लिया गया।
5. बी.पी.सी. की बैठक में प्रस्तावित प्रकरणों में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् लिए गए निर्णय निम्नानुसार है :–

प्रस्ताव सं0–1

भू0 सं0 :–भू0 सं0–62, 63 (पश्चिमी भाग), 66 (पश्चिमी भाग), 67 परमानन्द नगर के उपविभाजन / पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :– मैसर्स श्री विनायक रियलस्टेट जरिये प्रो0 श्री दानाराम पुत्र श्री नारायण राम

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

1. मूल भूखण्डों पर 40'–0'' सड़क की ओर 10'–0'' सैटबैक दर्शित है जबकि 30'–0'' सड़क की ओर 15'–0'' सैटबैक है। चूँकि भूखण्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिणी ओर स्थित सड़क (चौड़ाई 40'–0'') के दूसरी ओर स्थित भू0 सं0–37 के जविप्रा द्वारा अनुमोदित स्थल मानचित्र में अग्र सैटबैक 15'–0'' दर्शित है। अतः सड़क के दोनों ओर स्थित भूखण्ड के अग्र सैटबैक में एकरूपता के दृष्टिगत से उक्त प्रकरण में पुनर्गठित भूखण्ड पर अग्र सैटबैक 15'–0'' रखा जावें।
2. प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के दक्षिणी ओर आवेदक द्वारा बॉउण्ड्री वॉल करके 5'–0'' सड़क मार्गाधिकार पर कब्जा किया गया है जिसे तुडवा कर हटाए जाने के पश्चात् पुनर्ग्रहण शुल्क के साथ समस्त शुल्क एवं दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत प्रस्ताव अनुसार भू0 सं0–63 एवं भू0 सं0–66 के उपविभाजन पश्चात् भू0 सं0–62, 63 (पश्चिमी भाग), 66 (पश्चिमी भाग) एवं 67 क्षेत्रफल 1425.00 व.ग. की पुनर्गठन स्वीकृति जारी की जावें।

प्रस्ताव सं0–2

भू0 सं0 :– 63 (पूर्वी भाग) 64–ए, 64–बी, 65–बी, 66 (पूर्वी भाग) 67 परमानन्द नगर (लक्ष्मी नगर गृ. नि.स.स.) के उपविभाजन/ पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :– विनायक एन्अरप्राईजेज जरिये प्रो0 श्री भंवर लाल पुत्र श्री दानाराम

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

1. मूल भूखण्डों पर 40'–0'' सड़क की ओर 10'–0'' सैटबैक दर्शित है जबकि 30'–0'' सड़क की ओर 15'–0'' सैटबैक है। चूँकि भूखण्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिणी ओर स्थित सड़क (चौड़ाई 40'–0'') के दूसरी ओर स्थित भू0 सं0–37 के जविप्रा द्वारा अनुमोदित स्थल मानचित्र में अग्र सैटबैक 15'–0'' दर्शित है। अतः सड़क के दोनों ओर स्थित भूखण्ड के अग्र सैटबैक में एकरूपता के दृष्टिगत से उक्त प्रकरण में पुनर्गठित भूखण्ड पर अग्र सैटबैक 15'–0'' रखा जावें।
2. प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के दक्षिणी ओर आवेदक द्वारा बॉउण्ड्री वॉल करके 5'–0'' सड़क मार्गाधिकार पर कब्जा किया गया है जिसे तुडवा कर हटाए जाने के पश्चात् पुनर्ग्रहण शुल्क के साथ समस्त शुल्क एवं दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत अनुसार भू0 सं0–63 एवं भू0 सं0–66 के उपविभाजन पश्चात् जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार

भू0 सं0—63 (पूर्वी भाग), 64—ए, 64—बी, 65 एवं 66 (पूर्वी भाग) क्षेत्रफल 1393.66 व.ग. की पुनर्गठन स्वीकृति जारी की जावें।

प्रस्ताव सं0—3

भू0 सं0 :— सी—138, बापू नगर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :— श्री लोकेश दत्त माथुर

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :—

''प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार समस्त शुल्क एवं दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात् भू0 सं0 सी—138 बापू नगर क्षेत्रफल 888.88 व.ग. में से उपविभाजित भू0 सं0 सी—138—ए, सी—138—बी एवं सी—138—सी के पुनर्गठन पश्चात् पुनर्गठित भूखण्ड में से भू0 सं0 सी—138—ए/बी (क्षेत्रफल 592.55 व.ग.) एवं भू0 सं0 सी—138—सी (क्षेत्रफल 296.26 व.ग.) की उपविभाजन स्वीकृति जारी की जावें।''

प्रस्ताव सं0—4

भू0 सं0 :— बी—68, बापू नगर जयपुर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :— श्री गुल बी. आडवाणी

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :—

''प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार समस्त शुल्क एवं दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात् भू0 सं0 बी—68 बापू नगर क्षेत्रफल 1333.33 व.ग. में से भू0 सं0 बी—68 (पूर्वी भाग) क्षेत्रफल 666.66 व.ग. की उपविभाजन स्वीकृति जारी की जावें।''

प्रस्ताव सं0—5

भू0 सं0 :— 5 विवेकानन्द मार्ग, सी—स्कीम के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :— श्री अनुपम मदन पारीक

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

''प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अग्र सैटबैक 60'–0'', साइड सैटबैक दोनों ओर 20'–0'' एवं पीछे का सैटबैक 20'–0'' रखते हुए प्रकरण को नियमानुसार उपविभाजन अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0–6

भू0 सं0 :– ए–102–बी, जनकपुरी–प्रथम, ब्लॉक–ए, (दी राजहंस गृ.नि.स.स.) के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :– श्री नेमी चन्द माली

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

''प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा भूखण्ड के अग्र एवं अन्य सैटबैक में निर्माण किया हुआ है। भूखण्ड पर निर्मित निर्माण कितने वर्ष पुराना है बाबत पुनः जांच कर प्रकरण को समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

श्री जितेन्द्र श्रीमाली
अध्यक्ष

श्री रवि राय वर्मा
अति0 मुख्य नगर नियोजक
विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री जनार्दन शर्मा
उपायुक्त आयोजना प्रथम
सदस्य सचिव

श्री सुरेश जांगिड़
सदस्य

श्री बाबूलाल शर्मा
सदस्य

श्री शेर सिंह धाकड़
सदस्य

श्री इन्द्र प्रकाश धाभाई
सदस्य

(अनुपस्थित)
श्री मुकेश शर्मा
सदस्य

श्री महेन्द्र शर्मा
सदस्य

(अनुपस्थित)
श्री विजय गर्ग
सदस्य

(अनुपस्थित)
श्री राजकुमार चौधरी
सदस्य

(अनुपस्थित)
श्री राजेन्द्र चौधरी उर्फ भीम सिंह
सदस्य